

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इंदौर बेंच के समक्ष

सी.ए. (सीएए) नं. 3/स.प्र./2023 के मामले में
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 और कंपनी (समझौता,
व्यवस्था, और समामेलन) नियम, 2016 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत याचिका
और
इस मामले में:

की व्यवस्था की योजना:

एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत नियमित है, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विद्यमान है, इसका पंजीकृत कार्यालय एस्सार पावर एमपी लिमिटेड, पावर प्लांट, ग्राम बंधोरा, पोस्ट करसुआलाल सिंगरोली, सिंगरोली, मध्य प्रदेश - 486886 में है।

- आवेदक कंपनी / अलग हुई कंपनी

एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, अलग की गई कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों
और लेनदारों की बैठक की सूचना का विज्ञापन

इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि 6 जुलाई, 2023 (आदेश) के एक आदेश द्वारा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (ट्रिब्यूनल) की इंदौर बेंच ने इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग भौतिक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (अलग हुई कंपनी) के उद्देश्य से अलग हुई कंपनी, एस्सार ट्रांसको लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच डिमर्जर की प्रस्तावित योजना पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के मंजूरी दे दी जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 230-232 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार।

आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें निर्देशित किया गया है, आगे सूचना दी गई है कि अलग की गई कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग भौतिक बैठकें (बैठकें) 16 अगस्त, 2023 के नीचे दी गई जगह पर आयोजित की जाएंगी। निर्धारित समय पर उल्लिखित स्थान, जिस समय इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और अलग हुई कंपनी के असुरक्षित लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

| क्र. | बैठक | दिन और तारीख | कार्यक्रम का स्थान | समय |
|------|------------------|---------------------------|--|----------|
| 1 | शेयरधारक | 16 अगस्त 2023 (बुधवार) | 21, फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर 3, अपोलो फार्मसी के सामने, नई दिल्ली - 110024 | 10.30 AM |
| 2 | सुरक्षित लेनदार | 16 अगस्त 2023 (बुधवार) | 21, फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर 3, अपोलो फार्मसी के सामने, नई दिल्ली - 110024 | 11.30 AM |
| 3 | असुरक्षित लेनदार | 16 अगस्त 2023 (बुधवार) | 21, फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर 3, अपोलो फार्मसी के सामने, नई दिल्ली - 110024 | 02.00 PM |

उपरोक्त उल्लिखित बैठकों के लिए नोटिस (सूचना) उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ, इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और अलग की गई कंपनी के असुरक्षित लेनदारों को अनुमत तरीका और/या ईमेल के माध्यम से भौतिक रूप से भेजी जा रही है। उनके अंतिम ज्ञात पते अलग की गई कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

योजना की प्रतियां, यह नोटिस, अधिनियम की धारा 230 के तहत विवरण और उसमें उल्लिखित सभी दस्तावेजों को अलग की गई कंपनी की वेबसाइट www.essar.com पर देखा जा सकता है और इसके पंजीकृत कार्यालय में भी नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। एस्सार पावर एमपी लिमिटेड, पावर प्लांट, ग्राम बंधोरा, पोस्ट करसुआलाल सिंगरोली, सिंगरोली, मध्यप्रदेश - 486886 में अलग हुई कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि, श्री मोहित राय, इसके कार्यालय 21, फिरोज गांधी रोड से, लाजपत नगर 3, अपोलो फार्मसी के सामने, नई दिल्ली - 110024, शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन, सुबह 11.00 बजे के बीच और दोपहर 1.00 बजे तक बैठक की तारीख तक।

इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार व्यक्ति क्रमशः व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा (बैठक स्थल पर उपलब्ध मतपत्र का उपयोग करके) मतदान कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रॉक्सी निर्धारित प्रपत्र में हो। अलग की गई कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या तो भौतिक रूप से या ईमेल द्वारा powersec@essarpower.co.in पर संबंधित बैठकों से 48 घंटे पहले दाखिल किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी के प्रपत्र नोटिस के साथ संलग्न है और इन्हें अलग की गई कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल ने श्री. वी. एस. वर्मा को अलग की गई कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है। अनुपस्थिति में, आवेदक कंपनी के निदेशक, डॉ. आर.सी. मोहंती और उनकी अनुपस्थिति में आवेदक कंपनी के निदेशक श्री. कुश और उनकी अनुपस्थिति में श्री कपिल सिंगला, पूर्णकालिका निदेशक, बिक्री बैठकों के अध्यक्ष के रूप में। ट्रिब्यूनल ने प्रक्रिये में कंपनी सचिव श्री सुनील जोरी को बैठकों के जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त व्यवस्था की व्यवस्था, यदि बैठक में अनुमोदित हो जाती है, तो ट्रिब्यूनल के बाद की मंजूरी के अधीन होगी।

श्री. वी. एस. वर्मा,

दिनांक: 14 जुलाई, 2023

बैठकों के लिए अध्यक्ष नियुक्त